भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3249
08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कर्नाटक में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

†3249. श्री बी. वाई. राघवेन्द्रः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कर्नाटक में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) की शुरुआत से अब तक इसके अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना की जिला-वार वर्तमान स्थिति और उसके पूरा होने की समय-सीमा, भौतिक और वित्तीय प्रगति तथा किसी भी देरी के कारण क्या हैं;
(ग) क्या कर्नाटक में पीएमएसएसवाई के अंतर्गत उन्नत संस्थानों और नई सुविधाओं ने तृतीयक स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में सुधार लाने में मदद की है और यदि हाँ, तो इसके परिणामस्वरूप सृजित रोगी संख्या, विशेष सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा क्षमता का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या वर्तमान में पीएमएसएसवाई के अंतर्गत कर्नाटक राज्य से कोई नये प्रस्ताव विचाराधीन हैं; और
(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके अनुमोदन और कार्यान्वयन की अपेक्षित समय-सीमा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अंतर्गत, कर्नाटक राज्य में, तीन सरकारी मेडिकल कॉलेजों (जीएमसी) का निम्नलिखित विवरण के अनुसार केंद्र-राज्य लागत-साझाकरण के आधार पर उन्नयन किया गया है:

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	सरकारी मेडिकल कॉलेज/संस्थान का नाम	अनुमोदित अवसंरचना	अनुमोदित परिव्यय			जारी की गई केंद्रीय निधियां	परियोजना की स्थिति
			केंद्रीय हिस्सा	राज्य/संस्थान हिस्सा	कुल		
1.	बैंगलोर मेडिकल कॉलेज, बैंगलोर	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक	100	26.69	126.69	99.48	पूर्ण
2.	विजयनगर आयुर्विज्ञान संस्थान, बल्लारी	ट्रॉमा केयर ब्लॉक	120	30	150	105.92	पूर्ण
3.	कर्नाटक आयुर्विज्ञान संस्थान, हुबली	सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक	120	30	150	113.92	पूर्ण

इन जीएमसी में उन्नत सुपर स्पेशियलिटी सुविधाकेंद्रों ने कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरोसर्जरी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, बाल चिकित्सा सर्जरी, यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी सहित विशिष्ट सेवाएं प्रदान करके विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा परिचर्या को सुदृढ़ किया है।

पीएमएसएसवाई के वर्तमान चरण में, कर्नाटक राज्य में इस योजना के तहत किसी भी नए सुविधाकेंद्र के अनुमोदन हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

******